211/SSD/D's/61/2   135/[illegible]/19.6.13

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0
ऋण एवं अनुदान अनुभाग-19
कानपुर।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 वित्तीय निगम,
14/88, सिविल लाइन्स
कानपुर।

2- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 लघु उद्योग निगम,
11ई, [illegible] कानपुर।

CM(PMC) Sri Bagga for n/a [illegible]
19/6/13

Sri B.K. Gupta
Pl keep it properly
[illegible] 26/6/13

पत्रांक 2011 /ऋ0-19/ओ0टी0एस0/2013-14/कानपुर: दिनांक 18/6/2013

विषय:- [illegible] मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र, मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0- 716/18-2-2013-17[illegible]/2010 / दिनांक 27.5.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) को लागू किये जाने के संबंध में है।

उक्त संबंध में ओ0टी0एस0 योजना की नियमावली संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि नियमावली में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का समुचित प्रचार प्रसार करते हुए ऋणों की वसूली हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

([illegible])
[illegible] निदेशक उद्योग
उत्तर प्रदेश।

संख्या-716/18.2.2013-173(ल.उ.)/2010

प्रेषक,

विजय कान्त दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2013

विषय:- एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) पुनः लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1397/19-ऋण अनु/ओ0टी0एस0 /12-13, दिनांक 20-02-2013 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह तक योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा उसके पश्चात ओ0टी0एस0 संबंधी आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि 02 माह (आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 27.8.2013) होगी।

3- अतः इस संबंध में ओ0टी0एस0 योजना की नियमावली संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न नियमावली में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का समुचित प्रचार-प्रसार कराते हुए बकाया ऋणों की वसूली कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
ह0
(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक/महाप्रबन्धक, उद्योग विभाग, उ0प्र0।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया योजना का प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनु-1/वित्त ई-6/राजस्व अनुभाग-7
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक–1

एकीकृत मार्जि[illegible] ी ऋण, जिला उ[illegible] केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी [illegible] अन्य विभागीय ऋ[illegible] योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों के [illegible]सूली हेतु की जाने वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओ० टी० [illegible]स०) तथा औद्योगि[illegible] ऋण प्रबन्धन योजना

1. आच्छादित [illegible] योजनायें :–
   1. [illegible] उद्योग केन्द्र मार्जिन [illegible] ऋण योजना।
   2. [illegible]कृत मार्जिन मनी ऋण योजना।
   3. [illegible]प्रवित्त निगम द्वारा [illegible]कर्ता के रूप में संचालित निम्न ऋण योजनायें:–
      - (क) शिक्षित बेरोजगारों एवं [illegible]की उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना।
      - (ख) औद्योगिक काम्पलेक्सेस हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना।
      - (ग) इम्प्लायमेंट प्रमोशन प्रोग्राम/हाफ ए मिलियन जाब प्रोग्राम के अन्तर्गत मार्जिन ऋण योजना।
      - (घ) बीमार इकाइयों के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना।
      - (ङ) उदार ऋण योजना (एल. एल.एस.)।
      - (च) सामान्य ऋण योजना (ओ.एल.एस.)।

(ज) ..ड स्टोरेज ऋण योजना।

(झ) अन्य छूटी हुई ऋण योजनायें।

4. लघु / कुटीर उद्योगों के लिए ऋण योजना

(अ) मुख्यालय निधि।

(ब) आयुक्त निधि।

5. विशेष ऋण योजना

(अ) पूर्वी जिलों का ऋण

(ब) एक्सीलरेटेड ऋण

(स) बुन्देलखण्ड जिलों का ऋण,

6. सीमान्त विकास ऋण योजना।

7. खादी योजना।

8. हस्तकला सहकारी समितियों को अंशपूँजी ऋण योजना।

9. ग्रामीण उद्योग परियोजना अन्तर्गत प्रदत्त ऋण।

10. औद्योगिक सहकारी समितियों को अंशपूँजी ऋण योजना।

11. कम विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों को ऋण योजना।

12. उ० प्र० लघु उद्योग निगम ऋण योजनायें।

13. विकास केन्द्र ऋण योजना।

14. जिला उद्योग केन्द्र ऋण योजना

2.	<u>योजना का उ देश्य–</u>	इकाइयों को सहूलियतें देते हुए ऋण के रूप में वितरित अधिकतम वसूली सुनिश्चित किया जाना।
3.	<u>पात्रता–</u>	1. रूग्ण/बन्द, लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयां/ऋणी,जिन्होंने बकाया पिछली 6 किश्तों का लगातार भुगतान नहीं किया है अथवा जिनमें पिछले 03 वर्षो से उत्पादन शून्य है तथा वर्तमान में बन्द है। अथवा 2. लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाईयां, जो पूर्व में कभी नहीं चली हों । अथवा 3. उ.प्र0 वित्तीय निगम की धारा–29 के अन्तर्गत कार्यवाही के अधीन अथवा नीलाम की जा चुकी इकाइयां। अथवा 4. ऐसी बकायादार इकाईयां जिनके विरूद्ध ऋण की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो।
4.	<u>योजना की अवधि–</u>	(अ) औद्योगिक ऋणों की वसूली हेतु निर्धारित समय–सीमा इस योजना के तद्विषयक शासनादेश के निर्गत होने की

(6)

तिथि से 01 माह तक प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा ओ०टी०एस० संबंधी आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने की अधिकतम अवधि 02 माह होगी।

5. योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया/अनुमन्य लाभ–

(क) योजनान्तर्गत एकमुश्त समाधान स्वीकृत होने पर इकाई/ऋणी को मूलधन की पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। तदुपरान्त ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जायगी।

(ख) योजनान्तर्गत एकमुश्त समाधान योजना स्वीकृत होने पर जो रुग्ण /बन्द इकाइयाँ मूलधन का एकमुश्त भुगतान नही कर सकती हैं उनसे मूलधन दो त्रैमासिक किश्तों में 50 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत ब्याज, माफ किया जायेगा।

(ग) पात्र इकाइयों/ऋणी को मूलधन का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के साथ अग्रिम रूप में जमा करनी होगी जिसका समायोजन योजनान्तर्गत एकमुश्त मूलधन/अन्तिम किश्त (जो लागू हो) जमा करने के दौरान किया जायेगा।

6. <u>प्रस्तावित कार्यवाही</u>–

1. प्रस्तावित कार्यवाही के लिये पात्रता की परिधि में आने वाली इकाईयों/ऋणी को जिला उद्योग केन्द्र ऋण के मामले में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा शासन के एजेन्ट के रूप में वितरित किये गये ऋण के मामले में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के मामले में प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी पात्रता प्रमाणन हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किये जायेंगे, जो इकाई से संबंधित मामले को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को ओ0टी0एस0 योजना का लाभ देने के लिए अधिकृत होगें। संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्योग विभाग की योजनाओं के लिये तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के प्रबन्ध निदेशक/नामित अधिकारी, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से निस्तारित करायेंगे।

2. इस योजना का प्रचार–प्रसार प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों दूरदर्शन के

स्थानीय चैनल, आकाशवाणी तथा चलचित्र के माध्यम से कराया जायेगा। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग की ऋण योजनाओं के लिए, वित्त निगम की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की योजनाओं के लिए प्रबन्ध निदेशक/नामित अधिकारी द्वारा योजना का समुचित प्रचार प्रसार (डुगडुगी/मुनादी सहित) कराया जायेगा तथा पात्रता की श्रेणी में आने वाली सभी इकाइयों को पत्र द्वारा (ओ0टी0एस0 हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ) अवगत कराया जायेगा। दिनांक 31–3–2013 को बकायेदारों के ऊपर योजनावार बकाया कुल मूलधन, ब्याज एवं उसके कुल योग की सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी योजनाओं के लिए तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम अपनी योजना के लिए एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम अपनी योजना के लिए अपनी–अपनी वेबसाइट पर (संलग्न प्रारूप में) प्रकाशित करेंगे तथा उसकी सूचना उद्योग निदेशक को दी जायेगी। निदेशक उद्योग उसे उद्योग

निदेशालय की वेबसाइट पर डालेंगे और उक्त सूचना के आधार पर ही बकायेदार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

3. इकाई/फर्म द्वारा इस योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करके जिला उद्योग केन्द्र की योजनाओं के लिए, उ0प्र0 वित्तीय निगम की योजनाओं के लिए, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की योजनाओं के लिए आवेदन पत्र क्रमशः महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/ क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम/प्रबन्ध निदेशक/नामित अधिकारी, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें अनुमन्य लाभ का स्पष्ट विकल्प दिया जायेगा।

4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र मामले का निस्तारण करेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्योग विभाग की योजनाओं के लिये,वित्त निगम की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा लघु उद्योग निगम की योजनाओं के लिए प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी द्वारा मामले को प्रस्तुत

किया जायेगा तथा जिला उद्योग बन्धु की स्वीकृति के आधार पर संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट आदेश तत्काल निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ हस्ताक्षरित की हुई ट्रेजरी चालान, भुगतान करने की तिथि अंकित करते हुए उद्यमी को उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही आदेशों में किश्तों की तिथियों एवं देय ब्याज/धनराशि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

5. ओ0टी0एस0 योजना की समाप्ति की अंतिम तिथि तक ही आवेदन स्वीकार्य होंगें। डाक से प्राप्त विलम्बित आवेदन पत्रों/चेक क्लीयरेन्स में विलम्ब पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

6. ओ0टी0एस0 योजना की प्रगति की पाक्षिक/साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र के लिए एवं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा पूरे प्रदेश के संबंध में की जायेगी तथा पाक्षिक सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

7.ओवर राइडिंग इफैक्ट - इस योजना के अन्तर्गत वन टाइम सेटेलमेंट आदेशों के

अधीन निर्धारित किसी भी किश्त के भुगतान के डिफाल्टर होने पर वन टाइम सेटेलमेंट आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं इस आदेश के अधीन इकाई द्वारा जमा की गयी उक्त धनराशि प्रश्नगत योजनान्तर्गत सेटेलमेंट के पूर्व देयों के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी। वन टाइम सेटेलमेंट के पारित आदेश में इस शर्त का भी उल्लेख किया जायेगा कि योजना का लाभ लेने वाले ऋणी के संबंध में मूल ऋण अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत वसूली के प्राविधान डिफाल्टर होने तक निष्प्रभावी रहेंगे, जिन मामलों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनमें वसूली प्रमाण पत्र भी एकमुश्त समाधान योजना के आदेश में निहित अवधि के अन्तर्गत डिफाल्टर होने तक स्थगित रहेगा, जिन मामलों में एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत दिये गये ऋण का पूर्णतया समाधान हो जाता है, उनमें वसूली प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा। किसी भी वसूली प्रमाण पत्र के सापेक्ष जो भी धनराशि

बकायेदार द्वारा राजस्व विभाग में अथवा संबंधित विभाग में जमा की जायेगी, उसका 10 प्रतिशत वसूली संग्रह प्रभार के रूप में देय होगा तथा यदि "एकमुश्त समाधान योजना" के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र की राशि गलत पाये जाने के कारण किसी भी अन्य कारण से उसमें संशोधन के कारण बकायेदार द्वारा मूल वसूली प्रमाण पत्र से भिन्न राशि जमा किये जाने की दशा में वास्तविक रूप से जमा की जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत वसूली व्यय जमा कराया जायेगा। अतएव ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत देय ऋण का पूर्ण समाधान हो जाने पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र / उ0प्र0 वित्तीय निगम की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की योजनाओं के लिए प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी द्वारा देय संग्रह प्रभार राशि के साथ वसूली प्रमाण पत्र वापस लिये जाने के लिये संबंधित तहसील अधिकारी को अवगत कराये जाने के साथ-साथ इकाई को अदेयता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अविलम्ब जारी किया जायेगा तथा उद्यमी/ इकाई/ऋणी से इस आशय

का हस्तलिखित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। पारित आदेश में यह भी उल्लेख कर दिया जायेगा कि पात्र उद्यमी/इकाई/ऋणी को एकमुश्त समाधान योजना की यह सुविधा एक बार ही अनुमन्य हो। समस्त पुराने बकायेदार जो इस योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं, का ओ0टी0एस0 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र व उ0प्र0 वित्तीय निगम/उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा एक अभियान के तहत शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजनावधि समाप्त हो जाने के पश्चात जो भी बकायेदार रह जाते हैं, उनके विरूद्ध सख्ती से वसूली करनी होगी। योजना की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार के बकायेदारों के प्रत्यावेदन कदापि स्वीकार न किया जाय। इस योजना के प्राविधानों के विपरीत कार्यवाही किये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा और उनके विरूद्ध अनुशासनिक/दण्डात्मक

कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप

क्रमांक	योजना का नाम	बकायेदार का नाम व पता	दिनांक 31 मार्च, 2013 को बकाया मूल धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल धनराशि